6 टी एम सी जल पांडिचेरी सुनिश्चित करेगा। कर्नाटक राज्य कावेरी नदी के जल द्वारा सिंचाई के अंतर्गत अपना क्षेत्र विद्यमान 11.2 लाख एकड़ से अधिक नहीं बढ़ायेगा।

4. नर्मदा जल विवाद अधिकरण

यूनिट: मिलियन एकड़ फुट (एम ए एफ)

राज्य	किया गया दावा	आबंटित
मध्य प्रदेश	24.10	18.25
महाराष्ट्र	उपलब्ध नहीं	0.25
गुजरात	22.02	9.00
राजस्थान	उपलब्ध नहीं	0.50
		28.00

5. रावी-व्यास जल विवाद अधिकरण

यूनिट: मिलियन एकड़ फुट
यूनिट: बिलियन क्यूबिक मीटर (बी सी एम)

राज्य	किया गया दावा	आबंटित (अन्तरिम रिपोर्ट जनवरी, 1987 के अनुसार)
पंजाब	9.655	5.00
हरियाणा	1.334	3.83
राजस्थान	4.500	8.60
दिल्ली	दावा नहीं किया गया	0.20
जम्मू व कश्मीर	दावा नहीं किया गया	0.65
		18.28

टिप्पणी: इस समय जल का आबंटन पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों के बीच 1981 के पहले समझौते के आधार पर किया जा रहा है जिसमें निम्नलिखित आबंटनों की परिकल्पना है:

पंजाब	4.22 मिलियन एकड़ फुट
हरियाणा	3.50 मिलियन एकड़ फुट
राजस्थान	8.60 मिलियन एकड़ फुट
दिल्ली	0.20 मिलियन एकड़ फुट
जम्मू व कश्मीर	0.65 मिलियन एकड़ फुट
	17.17 मिलियन एकड़ फुट

6. यमुना जल बंटवारा

यूनिट: बिलियन क्यूबिक मीटर (बी सी एम)

राज्य	किया गया दावा	आबंटित (12.5 1994 को हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार)
हरियाणा	21.844	5.730
उत्तर प्रदेश	16.959	4.032
हिमाचल प्रदेश	1.344	0.378
राजस्थान	7.754	1.119
दिल्ली	1.669	0.724
	49.580	11.983

टिप्पणी: उपर्युक्त आबंटन ओखला तक यमुना नदी के जल के लिए है।

पारपत्रों को डाक से भेजा जाना

2051. **श्रीमती आनंदी ज० पटेल:** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि डाक सेवाओं के माध्यम से भेजे जाने वाले पारपत्र गुम हो जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार ऐसे कितने मामले सरकार के ध्यान में लाये गये हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल): (क) जी हां। यद्यपि पारपत्र रजिस्टर्ड डाक से भिजवाए जाते हैं फिर भी ऐसे मामले हो सकते हैं जिनमें आवेदकों को डाक से भेजे गए पारपत्र मार्ग में गुम हो गए। आवेदकों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए पारपत्र कार्यालयों को यह निर्देश जारी किए गए हैं कि वे संबंधित डाकखाने से इस आशय की पुष्टि होने के बाद कि उक्त पारपत्र प्रेषिती को परिदत्त नहीं किया गया है और आवेदक द्वारा यह हलफनामा देने के बाद कि उसने पारपत्र प्राप्त नहीं किया है, गुम हुए पारपत्र को खोया हुआ घोषित करने के उपरान्त निर्धारित फीस चार्ज किए बिना दूसरा पारपत्र शीघ्र ही जारी कर दें।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार ऐसे मामलों की संख्या से संबंधित सूचना एकत्र की जा रही है जो सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) जब भी ऐसे मामले मंत्रालय के ध्यान में लाए जाते हैं तो ऐसे मामलों को संबंधित डाक प्राधिकारियों के साथ उठाया जाता है। अपनी तरफ से मंत्रालय ने सभी पारपत्र कार्यालयों को ये निर्देश जारी किए हैं कि पारपत्र विशेष तौर पर छपे हुए लिफाफों में रजिस्टर्ड डाक से भेजे जाएं। ऐसे लिफाफों पर बाईं ओर कोने में बड़े अक्षरों में निम्नलिखित छपा हो:

पारपत्र केवल प्रेषिती को ही दिया जाए,
इसे पुन: प्रेषित न किया जाए।

डाक से पारपत्र भेजते समय उनके गुम होने की सम्भावनाओं को न्यूनतम करने के लिए ये कदम उठाए गए हैं।

Introduction of Mobile Patrol along National Highways

2052. SHRI YERRA NARAYANASWAMY: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether there is a proposal to introduce the system of Mobile Patrols along National Highways for road safety and checking of rash driving;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether it is a fact that Mobile Squads on Highways is an common practice in other countries; and

(d) if so, whether Government are considering introduction of Mobile Squads as a pilot project on National Highways in Andhra Pradesh; if so, the details thereof?

THE MINISTER OF SURFACE TRANSPORT (SHRI T.G. VENKAT-RAMAN): (a) and (b) No, Sir. However, there is a National Highway Patrolling Scheme under which financial assistance is provided to State Governments for purchase of a crane and ambulance each for removal of accidented vehicles from the National Highways and providing immediate medical facilities to the accident victims. It is for the State Governments to keep a check on rash driving.

(c) yes, Sir. The system of Highway Patrolling is prevalent in some countries.

(d) No such proposal is under consideration.

Traffic Handled by Major Ports

2053. SHRI RAHASBIHARI BARIK: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) the traffic handling capacity of each major port in the country;

(b) the traffic handled by each port during 8th Five Year Plan as on date; and

(c) the year-wise port-wise details thereof?

THE MINISTER OF SURFACE TRANSPORT (SHRI T. G. VENKAT-RAMAN): (a) to (c) A statement indicating existing traffic handling capacity of the Major Ports and the traffic handled by each port during the various years of the 8th Five Year Plan, is enclosed.

Statement

Traffic handled by Major Ports

Port	Aggregate Traffic handling capacity (as on 31.3.1996)	Actual Traffic Handled during the 8th Five Year Plan period. (in Million Tonnes)				
		1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97* (Apr.-Nov.)
1	2	3	4	5	6	7
Calcutta	6.75	5.16	5.17	5.80	6.12	3.98
Haldia	17.28	13.18	13.33	14.73	15.39	10.89
Paradip	8.55	7.61	8.33	10.12	11.26	7.33
Vizag	23.65	22.77	25.59	30.03	32.82	22.02
Madras	22.07	25.33	26.54	29.46	30.72	21.21